न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्याः 12/60/2025 GCMS **संख्याः** 2025/225

पेश दिनांकः 28.04.2025 **निर्णय दिनांकः** 22.04.2026

शेरसिंह पुत्र जगदीश, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सांचोद, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत–न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 168/2024

उपस्थितिः

1. श्री अरुण पंडित –वकील अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी –अभिलेखानुसार

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व अपील न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नं. 59, रकबा 14.84 बीघा, किस्म चारागाह भूमि में से 1.00 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने, खड़ी फसल हटाने तथा पुनः अतिक्रमण की दशा में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित नोटिस दिए बिना, विधिवत तामील कराए बिना तथा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया और आदेश तथ्य एवं विधि के विपरीत है।

मैंने अपील पत्र, अपीलित आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ, जिसमें चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल एक औपचारिक रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड, पटवारी प्रतिवेदन, मौके की स्थिति एवं उपलब्ध पत्रावली के समग्र परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर कब्जा किया गया है।

तामील संबंधी आपत्ति पर विचार किया गया। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि नोटिस जारी किए गए तथा तामील की कार्यवाही भी की गई। भले ही अपीलार्थी ने तामील की विधिवतता पर प्रश्न उठाया हो, तथापि केवल तामील में कथित तकनीकी त्रुटि के आधार पर उस आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक यह प्रदर्शित न हो कि उससे वास्तविक पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी को अपने पक्ष रखने का अवसर बिल्कुल नहीं मिला। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी अपीलीय स्तर पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहा है, परंतु वह ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो कि अधीनस्थ न्यायालय का अतिक्रमण संबंधी निष्कर्ष तथ्यहीन या मनमाना है।

विवादित भूमि चारागाह/सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण न केवल राजस्व अभिलेखों के विपरीत है बल्कि ग्राम समुदाय के अधिकारों एवं सार्वजनिक प्रयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि अभिलेखीय सामग्री से अतिक्रमण स्थापित हो रहा हो, तो केवल प्रक्रिया संबंधी आपत्ति के आधार पर अतिक्रमणकारी को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, और उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि उसी उद्देश्य से आदेश पारित किया गया।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी उचित होता है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टतः अभिलेख–विरुद्ध, विधि–विरुद्ध, अधिकारिता से परे या प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन से युक्त हो।

जिला कलेक्टर

जिला खैरथल-[illegible] (राज०)

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की आपत्तियाँ मुख्यतः तामील एवं रिपोर्ट की शुद्धता तक सीमित हैं, किन्तु वह अतिक्रमण के मूल तथ्य को विश्वसनीय रूप से खंडित नहीं कर पाया है। न तो कोई ऐसा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे वैध कब्जा सिद्ध हो, और न ही ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य जिससे यह कहा जा सके कि अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पूर्णतः निराधार है।

फलतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। यदि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है, तो उसका हटाया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखना राजस्व प्रशासन का वैधानिक दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति हेतु पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

1. अपीलार्थी शेरसिंह पुत्र जगदीश, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सांचोद, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 168/2024, यथावत कायम रखा जाता है।
3. संबंधित तहसीलदार/अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि विवादित चारागाह भूमि से अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस सहायता प्राप्त कर आदेश की प्रभावी पालना कराई जाए।
4. यदि मौके पर खड़ी फसल अथवा अन्य अवरोध मौजूद हों, तो अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अमला नियमानुसार उनकी हटाने/कुर्की/नीलामी संबंधी कार्यवाही करे।
5. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)